

सं.14036/303/2013-यू टी पी

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 29/4/2013

सेवा में

श्री प्रमोद कुमार जैन,
पुत्र-भूकन लाल,
बंदी वार्ड नं. 6,
तिहाड़ जेल नं.9,
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 26.02.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 15.4.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि आपका आवेदन इस अनुभाग में नहीं मिल पा रहा है। तथापि, आपके आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका आर टी आई आवेदन आवश्यक कार्रवाई करने तथा सीधे उनको सूचना प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Issued with encl.
12/6
3/5.

भवदीया,
एच
कृ. सुधा
(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :-

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए। आवेदक ने इस मंत्रालय में अपेक्षित शुल्क जमा करा दिया है।

Page No. 6+1 जोरल ऑफर - 7 पेज

Most Urgent/Time Bond

Total No. of Pages: 7 पेज

RTI Matter (Life & Liberty Case)

APPLICATION FOR SEEKING INFORMATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005

1360/RTI/2013
27/3/13

To

The Public Information Officer

श्री मान प्रमुख कनिष्ठ सहा, सहा सचिव लघु, भारत

सरकार नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली

A Contact Details:

01. Name of the applicant:

प्रमोद कुमार जैन 210 वक्र सुभाष लाल जैन R10 निलंबित मिनी फ्लैट जागतिक, पुलिस जनपद - जौनपुराहा विचाराधीन कर्षी तिराड जेल सहा 19 नई दिल्ली

Whether a citizen of India:

Yes:

No:

Details of information sought:

01. Nature of information sought,

A) Whether life or liberty case of person and the instant requisite information to be provided within 48 hours of the receipt:

Yes:

No:

B) Other then:

Yes:

No:

02. Type of information required:

A) Copy of document

B) Inspection of records

C) Sample of material


D) Other information

03) Whether information sought relates to third party?

Yes:

No:

04) Specify the particulars of information required:-



For closure

Note: - (A). The reply may please be given in the form in which both the query and the reply to the particulars query is mentioned as defined under section 7(1) of the RTI Act, 2005.

(B) In case the application/part of application is forwarded to same other Public information officer/other office as per section 5 (4) of the RTI Act 2005 seeking assistance or as per section 6 of the RTI Act, 2005 due to information pertaining & other public information officer. It may please be transferred within 5 days as per the RTI Act to avoid delay and to ensure reply within time to the applicant.

(C) Copy of the instant application to be sent to Central Information Commissioner. Central Information Commission "B" Wing 2ND Floor August Karanti Bhawan, Bhikaji Kama Place, New Delhi-110066 for kind information with a prayer to take necessary action unless requisite information is provided within 48 hours of the receipt of the request. Similarly CPIO/PIO is requested to supply a reply to the said Hon'ble commission to ensure that information requested for is provided with 48 hours under the provision of U/s 7(1) of the RTI Act, 2005.

(D) Time period for which information is required 48 घण्टे में when 48 hours. The application fee: vide IPO 08F 775504 for RS.10/- enclosed herewith and pay for column of the information is required.

(E) Whether applicant belongs to BPL categories and proof attached:-

Yes:

No:

Dated: - 26-2-2013

Place: - तिरुवा जेल कै

T. R. Janin
26/2/2013
Signature of the applicant

(प्रमोद कुमार जैन ए० ए० अक्षय अकन लाल जैन)
मिलिम्बत निरीक्षण नागरिक पुलिस जलपट्ट - जौनपुर (उ०प्र०)
राज विचारार्थीन कक्षा तिरुवा जेल न० 8/9 जे० ए० ए०

श्रीमान प्रमुख न्यायिक अधिकारी,

उच्च न्यायालय, भारत सरकार

नया दिल्ली

विषय - प्राथमिक शरणार्थी के कारण F.R.No 19/2010 द्वारा
498A/304B/34 भारतीय दण्ड संहिता धारा - मानसरोवर पार्क
दिल्ली की विवेचना विवेचक जयवीर सिंह राठी धारा - मानसरोवर
पार्क दिल्ली से / डी० सी० पी० नॉन रिजिस्टर्ड से हथकर दिल्ली पुलिस की
विजिलेन्स से। अपराध क्रमांक / सी० पी० नॉन रिजिस्टर्ड से कारण का
श्री 'जयनाथ' दिनांक 26-4-2010 को प्राप्त था उसके सम्बन्ध
में की गई कार्रवाई के बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम
2005 के अन्तर्गत अवगत कराने के सम्बन्ध में,

संदर्भ,

निवेदन यह है, कि प्राथमिक शरणार्थी के पद पर दि 25-1-
2010 को जनपद - वाराणसी से कापील श्रीमान प्रमुख न्यायाधीश
वाराणसी क्षेत्र वाराणसी के कापील से नियुक्त था प्राथमिक
के पुत्र दिनांक जून से श्री मरी अर्द्ध D/O गिरिधर सिंह निवासी
फ्लैट नं० D-121 G.T.B इन्कलेव धारा - मानसरोवर पार्क दिल्ली
से अन्तर्जातीय विवाह विषय था श्री शायी से पूर्व डिप्रेशन की
वजह से जिसका इलाज इहमास अस्पताल गढ़वा दिल्ली में
2005 से चला था उसके द्वारा दि 25-1-2010 को आत्महत्या
कर ली गई। जिसकी सूचना दि 25-1-2010 को DDN0 27 A क्रमांक
11-90 क्रमांक द्वारा अर्द्ध के द्वारा आत्महत्या किये जाने की दर्ज की गई
थी। फिर दिनांक 26-1-2010 को श्री गिरिधर सिंह D/O श्रीमल राम
सिंह R/O फ्लैट नं० 34A G.T.B इन्कलेव दिल्ली के द्वारा दहेज हत्या
का अभिप्रेत F.R.No 19/2010 द्वारा 498A/304B/34 के
धारा - मानसरोवर पार्क दिल्ली में पंजीकृत करा गया।
इसके विवेचक श्री जयवीर सिंह राठी के शीव मूल मूलनी
धारा - दोहा जिला - वागपट के विवेचक के निबन्ध सी० पी० सी०
सी० मेरठ मेरठ मेरठ में नियुक्ति के दौरान सी० पी० नं० 81/2007
सम्बन्धित मु० नं० 212/2006 द्वारा 306 गवर्नर धारा - दिल्ली
में जनपद - गाजियाबाद की विवेचना निष्पन्न करके आरोप
(-नाजशीट) प्रोकीन पद पुत्र गिरिधर सिंह जय निवासी गाम मूलनी
धारा - दोहा जनपद - वागपट के विवेचक जिला न्यायालय विषय था

(2)
 इस में इस श्री जयवीर सिंह राठी की गलत सिफारिश नहीं
 मानी थी इसलिए विवेचक अन्य लिपुक्त करने तथा निष्पत्त
 निवेचना अन्य शाखा से कराये जाने का आर्थी नै दिनांक 26-4-
 2010 को अपने पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय काशीपुर
 जन्म के माध्यम से दिया था।

2- श्रीमान श्री आपकी स्तर पर इस आर्थीनापत्र
 दिनांक 26-04-2010 श्री अवलोकनाथि सुलभन श्री निरुद्धी
 एक प्रतिमुख सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
 को सम्बोधित है। इस आर्थीनापत्र पर आपकी स्तर पर
 क्या कार्रवाई की गई कृपया सूचना के अधिकार
 अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।
 इससे सम्बन्धित सूचना आर्थी को 48 घण्टे के अन्तर्गत
 उपलब्ध कराने की कृपा की जावे तभी आर्थी इसी
 अभियोग में कुछ दिनांक 20-09-2010 को तिरहुत जेल
 दिल्ली में निरुद्ध है। आर्थी के मौलिक अधिकारों स्वतंत्र
 स्वतंत्रता का अधिकारों का हनन हो रहा है। नियमानुसार
 इस आर्थी का फौजदारी आर्डर सुलभन कर रहा है।

संलग्नक :-

- 1) आर्थीनापत्र श्रीमान मुख्य सचिव
 गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली
 निरुद्धी के आर्थी सम्बोधित
 अर्जी आई - 2 वकी
- 2) फौजदारी आर्डर - 1 वकी

निरुद्धी
26/09/2013

(प्रमोद कुमार जैन 09
 240 भुवनलाल जैन)

मिलिटरी निरीक्षक जन्म -
 जोनपुर (0000) टहल विचाराधीन
 नै तिरहुत जेल नई दिल्ली
 8/9